

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***

**\*(पत्रांक-296/2024 दिनांक 21.10.2024)\***

**\*दिनांक-21.10.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर नगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 702/2024 धारा 64/352/351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्रीकिशुन साकिन विशुपनपुरा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 702/2024 धारा 64/352/351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्रीकिशुन साकिन विशुपनपुरा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

1. अपराध निरीक्षक श्री गुलाब यादव थाना को0 हाटा कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री गौरव राय थाना को0 हाटा कुशीनगर
3. का0 अर्जुन चौहान थाना को0 हाटा कुशीनगर

**\*थाना रविंद्रनगर धूस पुलिस द्वारा चोरी गये आभूषण के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-21.10.2024 को थाना रविंद्रनगर धूस पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-173/2024 धारा 331(4),305,317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. इमामुद्दीन उर्फ इमाम पुत्र अब्दुल वाहीद 2. मंजेश पुत्र फेकू निवासीगण गोपालपुर थाना रविंद्रनगर धूस जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक जोड़ी बाली पीली धातु, दो जोड़ी पायल सफेद धातु, 11 अदद बिछिया सफेद धातु (कुल कीमत करीब 40000/- रुपये) व 2000 रुपये नगद बरामद कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत/अनावरित अभियोग-\***

मु0अ0सं0-173/2024 धारा 331(4),305,317(2) बी0एन0एस0

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

1. इमामुद्दीन उर्फ इमाम पुत्र अब्दुल वाहीद सा0 गोपालपुर थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
2. मंजेश पुत्र फेकू सा0 गोपालपुर थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

**\*अभियुक्त इमामुद्दीन उर्फ इमाम का अपराधिक इतिहास-\***

मु0अ0सं0-265/19 धारा 354,504,506 भादवि थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी विवरण-\***

1. एक जोड़ी बाली पीली धातु,दो जोड़ी पायल सफेद धातु,11 अदद बिछिया सफेद धातु (कुल कीमत करीब 40000/- रुपये)
2. 2000 रुपये नगद

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1. थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्रा थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री सौरभ द्विवेदी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री अभिलाष कुमार झा थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
4. हे0का0 चन्द्रजीत यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
5. का0 बृजेश कुमार थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
6. का0 वरुण यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

**\*थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.10.2024 को पशु तस्करी गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 01. राममनोहर पुत्र नथुनी सा0 सेमराहर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर 02. मेराज पुत्र शेखावत सा0 तमकुहवा थाना धनहा पं0 चम्पारण बिहार 03. मुमताज पुत्र इन्द्रीश सा0 सेमराहर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना कुबेरस्थान द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशु को उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य में ले जाकर गोकशी कर अधिक रूपया अर्जित कर अपना जीवन यापन करने का एक संगठित गैंग है। वध हेतु गोवंशीय पशुओ की तस्करी की सूचना पर दिनांक 21.08.22 मठिया चौराहा थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर मे UP 77 E 5304 द्वारा गोवंशीय पशुओ की तस्करी कर बिहार राज्य

ले जा रहे थे कि रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अपना वाहन छोड़कर फरार हो गये। जिसके सम्बन्ध में थाना कुबेरस्थान पर मु०अ०सं० 146/22 धारा 3/5ए/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि०पंजीकृत है, तथा दिनांक 20.09.2024 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राममनोहर सैनी पुत्र नथुनी निवासी ग्राम सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्तगण 1. मेराज पुत्र सेखावत निवासी ग्राम तमकुवहा थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार उम्र 32 वर्ष (गाड़ी चालक) 2. मुमताज पुत्र इद्रीश सा० सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिनके विरुद्ध आरोप पत्र ए-04/23 06.01.2023 प्रेषित किया गया है। इस गिरोह का लीडर राममनोहर उपरोक्त अपने सदस्यों के साथ मिल कर गोवशीय पशु को क्रूरता पूर्वक बाध कर वध हेतु उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य में तस्करी व परिवहन अपने सहयोगियों की मदद से करता है, तथा अभ्यस्त अपराधी है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक/भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरुद्ध आज थाना हाजा पर मु०अ०सं० 321/2024 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

**\*थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.10.2024 को पशु तस्करी गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 01. पारस उर्फ पारसनाथ यादव पुत्र स्व० बुनई उर्फ बुनेली यादव निवासी मझवलिया उर्फ मझौलिया खास टाडी टोला थाना कटिया जनपद गोपालगंज बिहार 02.आशीष प्रजापति पुत्र विजयनाथ प्रजापति निवासी कुकुरभूक्का थाना कटिया जनपद गोपालगंज बिहार के विरुद्ध थाना पटहेरवा द्वारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशुओं को उत्तर-प्रदेश/ बिहार राज्य में ले जाकर गोकशी कर अधिक रूपसे अर्जित कर अपना जीवन यापन करते हैं। गैंग के सदस्य दिनांक-12.06.2024 को एक अदद टाटा मैजिक पिकअप में कुल 05 राशि गोवंशीय पशु को क्रूरता पूर्वक लाद कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से कुल 05 राशि गोवंशीय पशु बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०-175/2024 धारा- 3/5A/8/5B गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक/भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर पर मु०अ०सं० 335/2024 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

**\*शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 26 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में=\***

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-44, व्यक्ति-159
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-29)

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***